संख्या-36/2019/ 720 /क0नि0प्र0/26-3-2019-18(109)/2018

प्रेषक

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2019

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी0एम0ए0जी0वाई0) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2019/528/क.नि.प्र./26-3-2019-18(109)/ 2018 दिनांक 10 जून,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संलग्नक के बिन्दु 9.1 को निम्नानुसार पढ़ा एवं समझा जाय:-

9.1 केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित प्रत्येक नये ग्रामों हेतु रू0 21.00 लाख उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें से रू0 20.00 लाख चयनित ग्राम में गैप-फिलिंग क्रियाकलापों को सम्पादित करने हेतु होगी। शेष रू0 1.00 लाख केन्द्र, राज्य, जनपद व ग्राम स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन, जागरूकता उत्पन्न करने,प्रचार-प्रसार आदि तथा केन्द्र स्तर पर M I S के विकास एवं अनुरक्षण हेतु होगा। उक्त धनराशि केन्द्र, राज्य, जनपद व ग्राम स्तर पर 1:1:1:2 के अनुपात में वितरित की जायेगी। उक्त निधि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बजट से अथवा SCA to SCSP योजना के आधारभूत संरचना शीर्षक अन्तर्गत कन्वर्जेन्स द्वारा दी जायेगी।

2- उक्त शासनदेश संख्या-30/2019/528/क.नि.प्र./26-3-2019-18(109)/ 2018 दिनांक 10 जून,2019 के संलग्नक को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-36/2019/720/(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
15. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0।
16. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
17. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
18. महाप्रबन्धक (नोडल अधिकारी) उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
19. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।